जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प-2(ई.सी.215)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी- 1337 दिनांक : 08.11.2017

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 215वीं बैठक दिनांक 06.11.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	215.1	कार्यकारी समिति की 214 वीं बैठक दिनांक 07.09.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 214वीं बैठक दिनांक 07.09.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	215.2	कार्यकारी समिति की 214 वीं बैठक दिनांक 07.09.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 214 वीं बैठक दिनांक 07.09.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया गया।	
3.	215.3	वेस्टन ग्रीन्स आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एल-41 के नियमितिकरण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात वेस्टन ग्रीन्स आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एल-41 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-12
4.	215.4	राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में	उपायुक्त जोन-8

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		नम्बर 1259 में स्थित भूखण्ड संख्या 11 का निरस्त आवंटन को बहाल करने बाबत।	आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में स्थित भूखण्ड संख्या 11 की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे। साथ ही बढ़े हुए क्षेत्रफल 29.01 वर्गमीटर भूमि की नज़राना राशि वर्तमान आरक्षित दर पर लिए जाने की स्वीकृति	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			प्रदान की गई।	
5.	215.5	जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा में भूखण्ड संख्या जी–19 के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा में भूखण्ड संख्या जी–19 का आवंटन बहाल करने के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। ब्याज एवं पैनल्टी की राशि के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त राशि आवंटन के समय प्रचलित आरक्षित दर के आधार पर ही वसूल की जावे।	उपायुक्त जोन–13
6.	215.6	Agenda regarding bid approval for the work of "Construction of Compound Wall/Barbed wire fencing around Govt. land in zone -13, JDA, Jaipur. (ARC)"	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Compound Wall/Barbed wire fencing around Govt. land in zone -13, JDA, Jaipur. (ARC)" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स गरिमा कन्सट्रक्शन्स के पक्ष में "G-Shedule" पर 16.66% कम दर पर राशि रूपए 39.90 लाख की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
7.	215.7	राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में स्थित भूखण्ड संख्या 03 की नजराना राशि निर्धारित अवधि में आवंटी द्वारा जमा नहीं कराये जाने के कारण स्वतः निरस्त आवंटन को	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.	उपायुक्त जोन–8

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		बहाल करने बाबत।	2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में स्थित भूखण्ड संख्या 03 की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
8.	215.8	आवास संख्या सी–422 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या	उपायुक्त जोन–10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी-422 योजना पालड़ीमीणा की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
9.	215.9	आवास संख्या ए-449 योजना नारदपुरा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या ए-449 योजना नारदपुरा के आवंटी द्वारा नज़राना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
10.	215.10	आवास संख्या सी–604 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./ एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी–604 योजना पालड़ीमीणा की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन–10
11.	215.11	आवास संख्या सी–425 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश	उपायुक्त जोन–10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी-425 योजना पालड़ीमीणा की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
12.	215.12	जविप्रा की योजनाऐं गणतपुरा, भांकरोटा, बिन्दायका में अल्प-आय वर्ग हेतु निर्मित आवासों में नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में नीतिगत निर्णय के कम में।	एजेण्डा पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन-12 ने अवगत कराया कि गणतपुरा, भांकरोटा, बिन्दायका योजनाओं में जो आवंटन किए गए हैं वे लॉटरी के माद्यम से किए गए हैं, परन्तु सहवन से आवंटन-पत्र में इन भूखण्डों को पुनर्वास	उपायुक्त जोन-12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जय

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			के भूखण्ड दर्शा दिया गया है जबकि ये पुनर्वास के भूखण्ड नहीं हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं में नाम-हस्तांतरण के लिए जो भी प्रकरण प्राप्त होते हैं उनमें डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक प. 2(30)नविवि/2016 पार्ट दिनांक 16.08.2017 के अनुसार ही समय से पूर्व बेचान के मामलों में नाम-हस्तांतरण की कार्रवाई की जावे। उक्त योजनाओं में यदि किन्हीं भूखण्डों के आवंटन प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास/कच्ची बस्ती के तहत किए गए हैं तो उन भूखण्डों में नाम-हस्तांतरण की कार्रवाई पुनर्वास/कच्ची बस्ती आवंटन की शर्तों के अनुसार की जावेगी।	
13.	215.13	सेक्टर रोड में आने वाले रिहायशी निर्मित भूखण्ड संख्या 17-ए गणेश विहार को समर्पण के बदले अन्यत्र दिये गये भूखण्ड के प्रति लेय राशि के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात सेक्टर रोड में आने वाले रिहायशी निर्मित भूखण्ड संख्या 17-ए गणेश विहार की समर्पित भूमि के बदले आवंटित भूखण्डों के पट्टे निःशुल्क जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-9
14.	215.14	भूखण्ड संख्या 254 क्षेत्रफल 45.00 वर्ग मीटर श्रेणी अधिस्वीकृत पत्रकार के स्थान पर मूर्तिकार श्रेणी में परिवर्तन किये जाने बाबत।	मूर्तिकला विहार योजना के भूखण्ड संख्या 254 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर में सहवन से मूर्तिकार के स्थान पर अधिस्वीकृत पत्रकार दर्ज होने के कारण विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा उक्त	उपायुक्त जोन-12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			भूखण्ड में आवेदक की श्रेणी को अधिस्वीकृत पत्रकार के स्थान पर मूर्तिकार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
15.	215.15	जविप्रा की अर्फोडेबल हाउसिंग योजना में फ्लेट सं. ए-3/एफएफ/05 मै. सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लि. के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात जविप्रा की अर्फोडेबल हाउसिंग योजना में फ्लेट सं. ए-3/एफएफ/05 मै. सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लि. के लिए देय राशि आवंटी द्वारा 11 माह 27 दिवस विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-12
16.	215.16	आवास संख्या बी-380 योजना विद्याधर नगर के नियमितिकरण के संबंध में।	आवास संख्या बी-380 योजना विद्याधर नगर का आवंटन वर्ष 1983 में किया गया था। 26 वर्ष पश्चात मूल आवंटी के उत्तराधिकारियों द्वारा नामित मुख्त्यारआम के द्वारा राशि जमा कर नियमितीकरण हेतु आवेदन किया गया है। 26 वर्ष तक उक्त भूखण्ड की बकाया राशि जमा तथा नियमितीकरण नहीं होने के कारण तथा मुख्त्यारआम द्वारा आवेदन किए जाने के कारण समिति द्वारा उक्त आवास का आवंटन	उपायुक्त जोन-2

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आवास का कब्ज़ा खाली करवाकर प्राधिकरण द्वारा आवास को अपने कब्ज़े में लिया जावे एवं उक्त आवास के पेटे जमा समस्त राशि को ज़ब्त कर लिया जावे।	
17.	215.17	जविप्रा की योजनाऐं गणतपुरा, भांकरोटा, बिन्दायका में अल्प-आय वर्ग हेतु निर्मित आवासों में नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में नीतिगत निर्णय के कम में।	एजेण्डा पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन-12 ने अवगत कराया कि गणतपुरा, भांकरोटा, बिन्दायका योजनाओं में जो आवंटन किए गए हैं वे लॉटरी के माद्यम से किए गए हैं, परन्तु सहवन से आवंटन-पत्र में इन भूखण्डों को पुनर्वास के भूखण्ड दर्शा दिया गया है जबकि ये पुनर्वास के भूखण्ड नहीं हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं में नाम-हस्तांतरण के लिए जो भी प्रकरण प्राप्त होते हैं उनमें डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/2016 पार्ट दिनांक 16.08.2017 के अनुसार ही समय से पूर्व बेचान के मामलों में नाम-हस्तांतरण की कार्रवाई की जावे। उक्त योजनाओं में यदि किन्हीं भूखण्डों	उपायुक्त जोन-12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			के आवंटन प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास/कच्ची बस्ती के तहत किए गए हैं तो उन भूखण्डों में नाम-हस्तांतरण की कार्रवाई पुनर्वास/कच्ची बस्ती आवंटन की शर्तों के अनुसार की जावे।	
18.	215.18	मूण्डियारामसर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एफ-128 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में मूण्डियारामसर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एफ-128 की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड	उपायुक्त जोन-12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
19.	215.19	राज्य सरकार से जविप्रा को देय भूमि एवं भवन कर की राशि रूपये 209202000/- के अपलेखन करने के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 55D के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	निदेशक (वित्त)
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
20.	215.20	Approval of Quotation for insurance of IOCL pipeline & its content against all risk for minimum value of Rs. 2.5 crores crossing from 15 location in PAP area of Ring Road Project at Ch 5+300 in village Bhurthal & Ch. 29+300 in village Dadiya for executing the agreement between IOCL & JDA.	विचार-विमर्श पश्चात "insurance of IOCL pipeline & its content against all risk for minimum value of Rs. 2.5 crores crossing from 15 location in PAP area of Ring Road Project at Ch 5+300 in village Bhurthal & Ch. 29+300 in village Dadiya" के लिए यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी के पक्ष में 11 स्थलों के लिए 6 माह के लिए रूपए 59000/- एवं 4 स्थलों के लिए रूपए 29500/- कुल रूपए 88500/- के quotation की बिना शर्त स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
21.	215.21	Approval of Tender for the work of "Various Development works of via ducts and service road of Riddhi Siddhi High Level Bridge, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Various Development works of via ducts and service road of Riddhi Siddhi High Level Bridge, Jaipur." के लिए निविदा का	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता M/s Vedehi Construction LLP के पक्ष में नेगोशिएटेड दर "G-Shedule based on BSR" पर 19.26% कम दर पर राशि रूपए 3,78,55,158.54 एवं Non BSR items के लिए राशि रूपए 7,12,491.00 कुल राशि रूपए 3,85,67,649.54 की निविदा की बिना शर्त स्वीकृति प्रदान की गई।	
22.	215.22	ऑटोमोबाईल नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या B/X/17 क्षेत्रफल 26.66 वर्ग गज़ के स्वतः निरस्त आवंटन को बहाल करने बाबत।	इस प्रकरण में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या B/X/17 क्षेत्रफल 26.66 वर्ग गज़ का विनिमय पत्र दिनांक 10.12.1985 को एवं बकाया राशि रूपए 5349.31 का मांग-पत्र दिनांक 06.06.1986 को जारी किया गया तथा दिनांक 29.12.1987 को जारी आदेश के अनुसार नज़राना राशि पूर्ण जमा नहीं होने के कारण उक्त भूखण्ड को पुनर्ग्रहित करते हुए आवंटन को निरस्त किया गया, जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.1987 को ही बकाया राशि जमा के चालान प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए। उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऑटोमोबाईल नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या B/X/17 क्षेत्रफल	उपायुक्त जोन-10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			26.66 वर्ग गज़ का आवंटन बहाल करने के प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
23.	215.23	राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाईज–पे) रूल्स, 2017 के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, विभिन्न आदेश, निर्देश, मेमोरेण्डम, संशोधन, इत्यादि प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए लागू करने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाईज़–पे) रूल्स, 2017 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक एफ–6(3) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10. 2017, मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक एफ–6(4) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10. 2017, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक एफ–6(5) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10. 2017 एवं इससे सम्बन्धित भविष्य में जारी होने वाले विभिन्न आदेश, निर्देश, मेमोरेण्डम, संशोधन इत्यादि को जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए पूर्ण रूपेण अपनाए (अडोप्ट) जाने स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णय की पुष्टि पत्रावली पर	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

राजस्व,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार से करवा ली जावे। साथ ही उक्त निर्णय की पुष्टि आगामी प्राधिकरण की बैठक में करवाए जाने का भी निर्णय लिया गया।	
24.	215.24	डॉ. बी. आर अम्बेडकर आवासीय योजना के 600 व.मी. के आवंटियों को जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी नगर–I मे भूखण्ड आवंटन बाबत।	विचार–विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन–13 ने यह अवगत कराया कि श्री ललित तनेजा जिन्हें डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 104 का आवंटन किया गया था, के द्वारा माननीय ज़िला उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया गया। माननीय ज़िला उपभोक्ता मंच के द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 1188/2013 ललित तनेजा व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण (जरिये उपायुक्त जोन–12) में दिनांक 28.07.2017 को यह निर्णय पारित किया गया कि आवंटी को भूखण्ड के साथ–साथ जमा नज़राना राशि पर 9% वार्षिक दर से ब्याज दिया जावे एवं अलग से रूपए 1,00,000/– क्षतिपूर्ति के रूप में तथा रूपए 5,000/– परिवाद व्यय के रूप में कुल रूपए 1,05,000/– अदा किए जावें। उक्त राशि 2 माह में अदा नहीं करने पर उक्त राशि पर भी 9% वार्षिक दर से ब्याज अदा किया जावे। समिति द्वारा	उपायुक्त जोन–11

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			माननीय ज़िला उपभोक्ता मंच के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करने का निर्णय प्रदान करते हुए यह निर्देश दिए गए कि उक्त अपील में निर्णय पारित होने तक श्री ललित तनेजा के प्रकरण में वर्तमान में रोहिणी नगर–I योजना में 600 वर्गमीटर के भूखण्ड के विनिमय में आवंटन की कार्रवाई नहीं की जावे। डॉ. बी. आर अम्बेडकर आवासीय योजना के 600 व. मी. के शेष 5 आवंटियों श्री जीवराज जैन, श्री विजय कुमार, श्री विधान विजयवर्गीय, श्री रघुनाथ प्रदसाद मीणा एवं कर्नल रवीन्द्र माथुर को जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी नगर–I में सृजित किए गए भूखण्ड संख्या 791 (कॉर्नर), 792, 793, 794, 795, 796, 797 एवं 798 (कॉर्नर) में से कॉर्नर के दोनों भूखण्डों को छोड़ते हुए शेष 6 भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा विनिमय में भूखण्ड आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
25.	215.25	प्राधिकरण में वरिष्ठ लेखाधिकारी का एक नवीन पद सृजित किये जाने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार प्राधिकरण सेवा हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी का 01 नवीन पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को पद सृजन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निर्णय लिया गया।	
26.	215.26	Agenda regarding approval of counter offer for the work of "Repair of Road cut due to laying of services in Zone-13, JDA Jaipur (ARC)".	विचार–विमर्श पश्चात "Repair of Road cut due to laying of services in Zone-13, JDA Jaipur (ARC)" के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स श्रीनाथ बिल्डॉन को "G-Shedule" पर 19.00% कम दर का काउण्टर ऑफर दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
27.	215.27	Construction of remaining service road from Ring Road towards Paldi parsa LHS side, Zone-11, JDA, Jaipur. (Rate Contract)	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of remaining service road from Ring Road towards Paldi parsa LHS side, Zone-11, JDA, Jaipur." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में किए गए Rate Contract को एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
28.	215.28	कनिष्ठ लेखाकार के 11 पदों को लेखाकार के पद में क्रमोन्नत करने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात कनिष्ठ लेखाकार के 11 पदों को लेखाकार के पद में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
29.	215.29	विशिष्ट सहायक, मंत्री, स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार को आवंटित अनुबन्धित वाहन की किलोमीटर सीमा	विचार–विमर्श पश्चात विशिष्ट सहायक, मंत्री, स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर,	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		बढ़ाने बाबत।	2017 के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु एजेण्डा में उल्लेखानुसार माह जनवरी के 3581 किलोमीटर, माह फरवरी के 3999 किलोमीटर, माह मार्च के 4079 किलोमीटर, माह अप्रैल के 3893 किलोमीटर, माह मई के 3959 किलोमीटर एवं माह जून के 4040 किलोमीटर की सीमा बढ़ाने हेतु लिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
30.	215.30	सीतापुरा आर. ओ. बी. के निर्माण हेतु प्रभावित भूमि को समर्पित करने के बदले में भूमि आवंटन बाबत।	सीतापुरा आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु काश्तकारों द्वारा समर्पित की गई भूमि के बदले में उन्हें 20 प्रतिशत आवासीय एवं 05 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि के आवंटन पत्र जारी किए गए थे। जोन द्वारा काश्तकारों के निवेदन के आधार पर उपरोक्त के स्थान पर 15 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया गया था। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा जोन का उपरोक्त प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए काश्तकारों को आरक्षण पत्रानुसार 20 प्रतिशत आवासीय एवं 05 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि ही दिये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.17 के अनुसार यदि भूमि किसी योजना क्षेत्र के लिए अवाप्त की जाती है तो उसके बदले में 20 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत भूमि योजना क्षेत्र में ही दिये जाने के आदेश हैं। परन्तु यह भूमि	उपायुक्त (ज़ोन-14)

सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			सडक (सेक्टर रोड) इत्यादि के लिए अवाप्त की जाती है तो काश्तकारों को विकसित भूमि अवाप्त भूमि के पास के क्षेत्र में ही दिये जाने के निर्देश हैं। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सडक कार्य हेतु जेडीए द्वारा भूमि का प्रबंध करवाया जाता है तो विकसित भूमि का आवंटन उसी गांव में या उसके आसपास के गांव में किया जाना चाहिए। तदानुसार विकसित भूमि पार्थ नगर योजना में दिये जाने का अनुमोदन किया गया।	
31.	215.31	जविप्रा की उद्यानिकी शाखा में निविदादाताओं द्वारा बी.एस.आर. दरों से कम दरों पर निविदा देने पर अन्तर राशि की बैंक गारण्टी जमा कराने का प्रावधान निविदा की शर्तो में रखने की अनुमति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि अन्तर राशि की बैंक गारण्टी जमा किए जाने के सम्बन्ध में केवल उद्यान शाखा के प्रकरणों में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक CE/PWD/ D&T/Cir./D-123 दिनांक 27.09.17 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जावे। जयपुर विकास प्राधिकरण के सिविल एवं इलैक्ट्रिक शाखा के कार्यो में उपरोक्त परिपत्र के अनुसार बैंक गारण्टी ली जावे अथवा नहीं, का परीक्षण कर प्रकरण को आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (वित्त), निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय वरिष्ठ उद्यानविज्ञ

(एच. गुईटे)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 215वीं बैठक दिनांक 06.11.2017 को अपरान्ह 12:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. बुनकर	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री बृजेश कुमार	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री ए.के कुमावत	उपनिदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री प्रदीप मोंगा	अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री दीपक शर्मा	अधिशाषी आभियंता-(सी.डी.-4)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री पंकज कपूर	कार्यकारी प्रबंधक (ग्रामीण)	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10.	श्री बी. सी. गंगवाल	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री राम नारायण बडगुर्जर	उपायुक्त जोन-09	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री बीरवल सिंह	उपायुक्त जोन-01	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री ओ.पी. शशि	उपायुक्त (स्टोर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री एस. पी. भादू	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री बी.एल. जाटव	अधीक्षण अभियंता-07	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री बी.डी. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री आर के माथुर	अधिशाषी अभियन्ता-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री अविनाश शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता-आर.आर.पी-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री वी.एम. जोहरी	अधिशाषी अभियन्ता-आर.ओ.बी.4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री के.एल. शर्मा	सहायक वन सरंक्षक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधि...

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
23.	श्री ओम थानवी	तहसीलदार जोन 09	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री वी.एन मीणा	तहसीलदार जोन–14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्रीमती बलविन्दर कोर	सहायक नगर नियोजक जोन–09	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.215)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी– 1337 दिनांकः 08.11.2017

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
8	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
9	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर